न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

उपस्थित–श्री अशोक कुमार दुबे–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा।

प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या–81/2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं०–306/2026

CNR No–UPLP0100–4026–2026

महेन्द्र शर्मा उर्फ गुड्डू शर्मा उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र महेश चन्द्र शर्मा नि०मो०कमलापुर, शिवकालोनी, थाना–कोतवाली सदर, शहर–लखीमपुर खीरी, ...**प्रार्थी**

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी .....**विपक्षणी/रेस्पान्डेन्ट**

04.06.2026

1– दाण्डिक अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा – 5 भारतीय परिसीमन अधिनियम पर आवेदक/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2– यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमन अधिनियम मय शपथ पत्र आवेदक/प्रार्थी द्वारा इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि–"अभियुक्त अन्य वाद में दण्डादेश की तिथि 13.01.2026 में जिला कारागार में निरूद्ध था, जिसके कारण प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत के लिये आवेदन नहीं कर पाया। पैराकार व अपील की धनराशि न होने के कारण निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर पाया है। प्रार्थी के पैरोकार द्वारा अपील के लिये आवश्यक धनराशि का प्रबन्ध करके अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रार्थी का संवैधानिक अधिकार है, प्रार्थी को धारा 5 भारतीय परिसीमन अधिनियम का लाभ देते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को अन्दर मियाद मानकर स्वीकार करने की याचना की गई है।"

3– उक्त प्रार्थना पत्र पर अभियोजन द्वारा आपत्ति की गयी और यह कहा गया है कि भारी हर्जे पर स्वीकार किया जाये।

4– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

5– पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त को दिनांक 23.01.2026 को विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्त का यह कहना है कि वह अन्य वाद में दण्डादेश की तिथि पर जिला कारागार में निरूद्ध था, जिसके कारण प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत के लिये आवेदन नहीं कर पाया। पैराकार व अपील की धनराशि न होने के कारण निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर पाया है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र को हर्जे की शर्त पर स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र 5 ख हर्जे की शर्त पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं० –5 ख अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम मु० 500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार प्रार्थी द्वारा दाण्डिक अपील प्रपत्र 3 क 1 को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। पत्रावली अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु माननीय जिला जज महोदय, लखीमपुर खीरी के समक्ष दिनांक 11.06.2026 को पेश हो। पक्षकारगण माननीय जिला जज महोदय के न्यायालय में नियत तिथि को उपस्थित हों।

(अशोक कुमार दुबे–प्रथम)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।
JO Code UP 6081

दिनांक–04.06.2026

Digitally signed by ASHOK KUMAR DUBEY
Date: 2026.06.04 15:25:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court